POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 01.06.2025

1. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा मकान की फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर कब्जा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **01.06.2025** को **थाना फेस-2 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर मकान पर कब्जा करने वाले अभियुक्त 1. शिवा उर्फ शिबू पुत्र सुरेश 2. दिनेश पुत्र रामफल 3. ज्ञानेन्द्र उर्फ ज्ञानी पुत्र धर्मपाल 4. राजवीर पुत्र रिछपाल को थाना क्षेत्रांतर्गत सलारपुर खादर शिवशक्ति एन्क्लेव, सेक्टर-81 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 01.06.2025 को वादी द्वारा थाना फेस-2 पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त गण द्वारा वादी के मकान के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अभियुक्त राजवीर को मकान मालिक बनाकर मकान की रजिस्ट्री नेहा पत्नी दिनेश के नाम कर दी है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर योजनाबद्ध तरीके से फर्जी रजिस्ट्री कराकर दूसरों के प्लॉट/ मकान पर कब्जा किया जाता था। अभियुक्त शिवा उर्फ शिबू, दिनेश व ज्ञानेन्द्र उर्फ ज्ञानी की मुलाकात एक-दूसरे से गाजियाबाद जेल में अलग-अलग मामलों में सजा काटने के दौरान हुई थी। अभियुक्तों द्वारा जेल से रिहा होने के पश्चात् प्लॉट/ मकान पर कब्जा करने हेतु प्रोपर्टी डीलिंग का काम शुरु किया, जिसमें अभियुक्त शिवा उर्फ शिबू प्रोपर्टी डीलर तथा अभियुक्त दिनेश व ज्ञानेन्द्र उर्फ ज्ञानी ग्राहकों को लाने का कार्य किया जाता था। इसी योजना के क्रम में अभियुक्त गण द्वारा एक शराबी किस्म के अभियुक्त राजवीर को अपने योजना में शामिल करते हुए इस घटना को अंजाम दिया था।

प्रकरण से संबंधित मुख्य बिन्दु--

1. अभियुक्त शिवा उर्फ शिबू, ग्राम दुजाना, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर का निवासी है जो कि थाना सिहानीगेट पर पंजीकृत हत्या के अभियोग की सजा में वर्ष 2007 से वर्ष 2019 तक गाजियाबाद जेल मे बंद रहा था।
2. अभियुक्त दिनेश पुत्र रामफल, इन्द्रापुरी, मोदीनगर, गाजियाबाद का निवासी है जो कि वर्ष 2009 से वर्ष 2010 तक तथा वर्ष 2012 से वर्ष 2022 तक अलग- अलग मामलों में गाजियाबाद जेल में बंद रहा था, इस दौरान अभियुक्त शिवा उर्फ शिबू व अभियुक्त दिनेश की मित्रता हुई।

3. अभियुक्त ज्ञानेन्द्र उर्फ ज्ञानी, ग्राम रोरी, मोदीनगर, गाजियाबाद का निवासी है जो कि वर्ष 2021 से वर्ष 2022 तक गाजियाबाद जेल में बंद रहा था इस दौरान अभियुक्त ज्ञानेन्द्र व अभियुक्त दिनेश की मित्रता हुई।
4. अभियुक्त शिवा उर्फ शिबू द्वारा प्रोपर्टी डीलिंग का कार्य तथा अभियुक्त दिनेश व ज्ञानेन्द्र उर्फ ज्ञानी ग्राहकों को लाने का कार्य करते थे
5. अभियुक्त शिवा उर्फ शिबू द्वारा जेल में हुई मित्रता के आधार पर अभियुक्त दिनेश व ज्ञानेन्द्र उर्फ ज्ञानी से सम्पर्क किया तथा शिवशक्ति एन्क्लेव, सलारपुर खादर, सेक्टर-81 नोएडा में खाली पड़े प्लॉट तथा मकानों को चिह्नित कर उनमें से एक मकान की रजिस्ट्री के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अभियुक्त राजवीर जो कि सलारपुर थाना सेक्टर-39 नोएडा का निवासी है एवं शराब पीने का आदी है, को नाम पर तैयार कर दी।
6. अभियुक्त राजवीर पुत्र रिछपाल द्वारा 100 गज के प्लॉट का स्वामी बनकर मात्र 22000 रुपये फर्जी रजिस्ट्री कर दी।
7. यह एक ऐसा गिरोह है जो खाली पड़े प्लॉट व मकानों की निगरानी/चिह्नीकरण कर फर्जी रजिस्ट्री करा देता था तथा सिविल मामला बना लेता था। जिससे पीड़ित व्यक्ति परेशान होकर या तो प्लॉट छोड़ देता था या सस्तें दामों में इन्हीं को अपना प्लॉट मजबूरी में बेच देता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. शिवा उर्फ शिबू पुत्र सुरेश निवासी ग्राम दुजाना, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब-39 वर्ष, शिक्षा– कक्षा 10वीं।
2. दिनेश पुत्र रामफल निवासी इन्द्रापुरी, मोदीनगर, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष, शिक्षा- कक्षा 7वीं।
3. ज्ञानेन्द्र उर्फ ज्ञानी पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम रोरी, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद, उम्र करीब 35 करीब, शिक्षा – कक्षा 12वीं।
4. राजवीर पुत्र रिछपाल निवासी ग्राम सलारपुर, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 52 वर्ष, अशिक्षित।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त शिवा उर्फ शिबू--**

1. मु0अ0सं0 281/2007 धारा 384/302/34 भादवि, थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 288/2007 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सिहानी गेट जिला गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 256/2025 धारा 318(4)/329(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

➢ अभियुक्त ज्ञानेन्द्र उर्फ ज्ञानी--

1. मु0अ0सं0 10/2022 धारा 34/379/411 भादवि, थाना लिंक रोड, गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 12/2022 धारा 34/414 भादवि, थाना लिंक रोड, गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 2357/2021 धारा 323/352/427/504/506 भादवि, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 256/2025 धारा 318(4)/329(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

➢ अभियुक्त दिनेश--

1. मु0अ0सं0 652/2009 धारा 147/14/8/149/302/307/384/506 भादवि, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0 749/2009 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0 563/2011 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0 558/2007 धारा 147/148/323/325/452/504/506 भादवि, थाना मोदीनगर, गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0 256/2025 धारा 318(4)/329(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

➢ अभियुक्त राजवीर--

1. मु0अ0सं0 256/2025 धारा 318(4)/329(3)/338/336(3)/340(2) बीएनएस, थाना फेस-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।